



भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि की देयता के संबंध में
लगायी जाने वाली शर्तों के अनुपालन संबंधी

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के शासनादेश संख्या 8-10/94-एफ.सी. दिनांक 14.10.96 एवं उ०प्र० राज्य सरकार के आदेश संख्या 6619/14-2 -97-145(233)/ 94 दिनांक 22 मई, 1998 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1966 से 38.2591 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्मित 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के पट्टे का 25 वर्षों के लिये उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 38.2591 हेक्टेयर वनभूमि को पुनः 25 वर्षों के लिये लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। लीज नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार/ उ०प्र० सरकार द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि की देयता संबंधी जो भी विधि संगत शर्तें लगायी जायेगी उसका नियमानुसार अनुपालन करने हेतु हिण्डालको संस्थान बचनबद्धता प्रस्तुत करता है।



Hindalco Industries Limited

P.O. Renukoot-231217, District. Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093

T: +91 22 6691 7000 | Fax: +91 22 6691 7001

Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238